

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 615 /आठ-1-25-872/2024
लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2025

कार्यालय झाप

उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बंधी समिति" (2024-2025) की दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न बैठक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सम्बंधित ऑडिट प्रस्तर-भाग (क) प्रस्तर-125, जो बिना नियमित नियुक्ति पत्र निर्गत किये ही 19 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. व प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बंध में मा0 समिति द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु निम्नानुसार एक जांच समिति का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम/पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष।
2	श्री अनिल कुमार मिश्रा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।	सदस्य।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	सदस्य-संयोजक।

2- उक्त समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण की जांच कर जांच आख्या शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
5. अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।